



रा0रा0 श्रीमान् राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर के समक्ष

रिग्य 673 PBR/2004

- 1) श्रीमती सिरिकुवर बाई पति स्व0 शिवकिशन दास
- 2) अनिलकुमार पिता शिवकिशन दास
- 3)

सभी निवासी ग्राम राय तलाई तह बुहरानपुर

विरुद्ध

.....प्रार्थीगण

- 1) म0प्र शासन द्वारा सक्षम प्राधिकारी महोदय, बुहरानपुर
- 2) श्रीमती मंदाकीनी पति मनोहर लाल
- 3) श्रीमती माला पति प्रदिप कुमार

दोनो निवासी - ग्राम राय तलाई तह0. व जिला बुहरानपुर

श्री विनीत जोशी द्वारा
द्वारा राज कि. 28-5-04
इ-नं. जे.प. 48 पेश किया
28-5-04

.....प्रतिप्रार्थीगण

पुनर्विलोकन अंतर्गत धारा 51 म0प्र भू0 राजस्व संहिता

इस माननीय न्यायालय द्वारा निगरानी प्रकरण कं. 121 / 4 / 89 में दिनांक 25.04.2003 को पारित आदेश के सम्बंध में अपनी पुनर्विलोकन याचिका निम्नानुसा सादर प्रस्तुत है।

(Signature)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक रिव्यू 673-पीबीआर/2004

जिला बुरहानपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिमाषकों आदि के हस्ताक्षर
25-8-2015	<p>आवेदक गण की ओर से सूचना उपरांत कोई उपस्थित नहीं । अतः प्रकरण का निराकरण अभिलेख के आधार पर व गुणदोषों पर किया जा रहा है । प्रकरण से सम्बंधित समस्त अभिलेखों एवं इस न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित आदेश दिनांक 25-4-2003 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । यह पुनर्विलोकन इस न्यायालय द्वारा निगरानी प्रकरण क्रमांक 122-चार/1989 में पारित आदेश दिनांक 25-4-2003 के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 सहपठित व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 47 नियम 1 में पुनर्विलोकन हेतु निम्नलिखित आधारों का उल्लेख किया गया है :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना जो सम्यक् तत्परता के पश्चात भी उस समय जब आदेश किया गया था, उस पक्षकार के ज्ञान में नहीं थी अथवा उसके द्वारा पेश नहीं की जा सकती थी, या 2 मामले के अभिलेख से ही प्रकट कोई भूल या गलती, या 3 कोई अन्य पर्याप्त कारण <p>अभिलेख में ऐसी कोई साक्ष्य अथवा बात का उल्लेख नहीं किया गया है, जो आदेश पारित करते समय प्रस्तुत नहीं की जा सकती थी, और न ही अभिलेख से परिलक्षित त्रुटि ही दर्शाई गई है। इस न्यायालय द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया को त्रुटिपूर्ण ठहराने का प्रयास किया गया है, जो पुनर्विलोकन का आधार नहीं हो सकता है।</p> <p>अतः यह पुनर्विलोकन प्रथमदृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य किया जाता है ।</p>	<p style="text-align: right;">(मनोज गोयल) अध्यक्ष</p>